भारत संघ एवं अन्य

बनाम

संग्राम केशरी नायक

27 अप्रैल, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

सेवा कानून-पदोन्नति-पदोन्नति के लिए अनुशंसित कर्मचारी का नाम- सतर्कता मामले के लंबित होने के कारण, सरकारी परिपत्र के अनुसार मुहरबंद आवरण प्रक्रिया को अपनाते हुए पदोन्नति नहीं दी गई-कर्मचारी के कनिष्ठ को दी गई पदोन्नति- विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक तथा कनिष्ठ को पदोन्नत किए जाने के बाद विभागीय कार्यवाही की शुरुआत- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारी को पदोन्नति की अनुमति दी गई-अपील पर, निर्धारितः परिपत्र के अनुसार, सील्ड कवर प्रक्रिया को तभी अपनाया जा सकता था जब अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी-चूंकि जिस दिन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई गई थी, उस दिन कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी, कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता था-पदोन्नति हालांकि एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसे तब तक कम

नहीं किया जा सकता जब तक कि वैध नियमों द्वारा अनुदत्त न हो-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 309।

विभागीय पदोन्नति समिति (डी. पी. सी.) द्वारा पदोन्नति के लिए प्रत्यर्थी (अपीलार्थी-राज्य के कर्मचारी) के नाम की सिफारिश की गई थी। उसके विरूद्घ सतर्कता मामला लंबित था, विभागीय पदोन्नति समिति ने एक सरकारी परिपत्र दिनांक 21.10.1993 के संदर्भ में सील्ड कवर प्रक्रिया को अपनाया। पदोन्नति के लिए उसके नाम की सिफारिश किए जाने के बाद और उसके कनिष्ठ को पदोन्नत किए जाने के बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी।

प्रत्यर्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर कर अपीलार्थी-राज्य को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह उसे उस तारीख से पद पर पदोन्नत करे जब उसका कनिष्ठ नियुक्त किया गया था। आवेदन की अनुमति दी गई। रिट याचिका में न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा गया था। इसलिए वर्तमान अपील।

याचिका खारिज, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया-

1. पदोन्नति एक मौलिक अधिकार नहीं है। यद्यपि पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अपने भीतर एक प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक विचार को शामिल करता है। यद्यपि अभ्यर्थी की उपयुक्तता या अन्य तथ्य विभागीय पदोन्नति समिति

के हाथों में ही छोड़े जाने चाहिए, परन्तु उक्त तथ्य लागु होने वाले नियमों के अनुसार ही निर्धारित होने हैं। निर्विवादित रूप से विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रत्यर्थी का मामला पदोन्नति हेतु अनुशंषित किया गया था। जिस दिन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मीटिंग की गई उस दिन कोई सतर्कता जाँच लम्बित नहीं थी। नियोक्ता द्वारा भी ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया गया था कि उसके विरूद्घ विभागीय कार्यवाही आरम्भ की जावे। [पैरा 11] [900-डी]

2.केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी के नियम व शर्तें विधान या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा शासित होते हैं। अतः अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति किए जाने का अधिकार भी मात्र वैध नियमों के द्वारा ही कम किया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार के नियम का ऐसे अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता जो विधि द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पदोन्नति के अधिकार को कम कर दे।[पैरा 12] [900-E-F]

3. परिपत्र दिनांक 21.10.1993 का पैरा 06 मोहर बंद आवरण प्रक्रिया का प्रावधान करता है, परन्तु उसका सहारा पैरा 02 में अंकित स्थितियों में ही लिया जाना है जो विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा किए जाने के पश्चात् उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा अन्य आधार के अलावा मात्र तभी अस्वीकार की जा

सकती थी जब उक्त परिपत्र के पैरा 02 में वर्णित एक या अन्य परिस्थिति संतुष्ट होती हो जिसका वर्तमान मामले में अर्थ है कि प्रत्यर्थी के विरूद्घ आरोप पत्र जारी किया जा चुका था या दूसरे शब्दों में एक विभागीय कार्यवाही लम्बित थी। स्वीकृत रूप से उसके विरूद्घ आरोप पत्र विभागीय पदोन्नति की मीटिंग होने के पश्चात् जारी की गई थी। अतः प्रत्यर्थी को पदोन्नत किए जाने में कोई बाधा नहीं थी। विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई जिसके आधार पर वह मोहरबंद आवरण प्रक्रिया का सहारा लेती। वास्तव में तात्विक समय पर वह अस्तित्व में ही नहीं थी। कथित परिपत्र का पैरा 02 विशिष्ट रूप से आरोप पत्र के संस्थित होने को कट ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित करता है जबकि विभागीय कार्यवाही को आरम्भ किया जाना माना जा सके। [पैरा 13 और 14] [900-जी-एच; 901-ए-बी]

भारत संघ व अन्य बनाम के. वी. जानकीराम और अन्य [1991] 4 एस. सी. सी 109 और कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम सरोज कुमार मिश्रा, (2007) 5 स्केल 724, पर भरोसा किया।

भारत संघ व अन्य बनाम आर. एस. शर्मा, [2000] 4 एससीसी 394; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम एच. सी. खुराना, [1993] 3 एस. सी. सी. 1996 और भारत संघ बनाम केवल कुमार, [1993] 3 एस. सी. सी. 204, पृथक्करण।

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 3691/2005

कटक स्थित उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा एनपीसी (50/2004) में दिनांक 31.01.2005 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश से।

आर. मोहन, एएसजी, आर. नेदुमारन, आर. सी. कथिया और बी. कृष्ण प्रसाद अपीलार्थी की ओर से।

एस. के. ढोलकिया, मनोज कुमार दास और सिबो शंकर मिश्रा प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, जे. दिया गया।

1. उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन संख्या 50/2014 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 31.01.2005 से उद्भूत इस अपील में दिनांक 21.01.1993 के कथित परिपत्र का निर्वचन हमारे विचार हेतु आता है।

2. उक्त प्रश्न पर विचार किए जाने से पूर्व हम मामले के स्वीकृत तथ्यों पर ध्यान दे सकते हैं।

3. प्रत्यर्थी दिनांक 01.02.1982 को या उससे लगभग भारतीय रेल्वे यातयात सेवा में भर्ती किया गया था। उसे कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद पर पदोन्नत किया गया। उसे दिनांक 01.07.1994 को सलेक्शन ग्रेड में भी रखा गया। वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का पद रिक्त हुआ। प्रत्यर्थी उक्त

पद पर विचार किए जाने हेतु योग्य था। उक्त पद पर पदोन्नति हेतु पैनल तैयार किए जाने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया। प्रत्यर्थी का नाम भी उसमें शामिल था। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ग्रेड डी से ग्रेड ए में पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारी तथा जिन रेल्वे अधिकारियों के विरूद्घ विभागीय कार्यवाही लम्बित हैं उनके सम्बन्ध में प्रक्रिया और मार्गदर्शक नियम निर्धारित करने वाले परिपत्र की शर्तों के अनुसार अन्य बातों के अतिरिक्त प्रत्यर्थी के विरूद्घ सतर्कता मामला लम्बित होने के आधार पर कथित तौर पर मुहरबंद आवरण प्रक्रिया को अपनाया गया।

4. उक्त परिपत्र का अनुच्छेद 6, जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार हैः

> "6. एक लोक सेवक जिसे विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु अनुशंषित किया गया है, परन्तु जिसके मामले में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा प्राप्त होने के पश्चात्, परन्तु उसे आवश्यक रूप से पदोन्नत किए जाने से पूर्व उपर लिखे पैरा 02 में उल्लेखित कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उसका मामला इस प्रकार समझा जाए जैसे विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उसका मामला मुहरबंद आवरण के रूप में रखा गया हो। उसे तब तक पदोन्नत नहीं किया जाए जब

तक अनुशासनात्मक मामला/आपराधिक कार्यवाही निर्धारित नहीं हो जाती और इस पत्र में उल्लेखित प्रावधान उसके मामले पर भी लागु होंगे।"

5. दिनांक 27.08.1999 को या उसके लगभग श्री जी.पी. श्रीवास्तव, जो प्रत्यर्थी से तत्काल कनिष्ठ था को वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद पर पदोन्नत किया गया, परन्तु प्रत्यर्थी के विरूद्घ विभागीय कार्यवाही आरोप पत्र जारी कर 24.09.1999 को ही आरम्भ की गई थी।

6. प्रत्यर्थी द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी के कलकत्ता बेंच के समक्ष मूल आवेदन, जिसे अंतिम रूप से कटक बैंच को अंतरित किया गया, उसके कनिष्ठ को नियुक्ति दिए जाने की तिथि से उसे पदोन्नत किए जाने का निर्देश देने की प्रार्थना करते हुए दायर की गई थी जो दिनांक 19.08.2003 के निर्णय व आदेश द्वारा स्वीकार की गई। अपीलार्थी द्वरा उसके विरूद्घ दायर की गई रिट पिटीशन उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के द्वारा अस्वीकार की गई।

7. अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र के पैरा संख्या 02 पर निर्भर रहते हुए, जिसके सुसंगत भाग निम्नलिखित प्रकार से है, विवाद को इस आधार पर निर्धारित किया गया कि शब्द "बादल के अधीन लोक सेवक" वह होगा जिस कर्मचारी के विरूद्घ आरोप पत्र जारी हो चुका हो-

" 2. पैनल के लोकसेवक के मामलों पर विचार करते समय ऐसे लोक सेवक जो पदोन्नती हेतु विचारण क्षेत्र में है और जिनका मामला निम्नलिखित में से किसी श्रेणी में आता है, के विवरण विशिष्ट रूप से विभागीय पदोन्नति समिति की जानकारी में लाए जाएंगेः-

(i) निलंबन के अधीन लोकसेवक;

(ii) ऐसे लोक सेवक जिनके विरूद्घ आरोप पत्र जारी किया जा चुका है और;

(iii) ऐसे लोक सेवक जिनके विरूद्घ आपराधिक आरोप के सम्बन्ध में अभियोजन लंबित है "

8. अपने निष्कर्ष पर पहुँचते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय भारत संघ व अन्य बनाम के. वी. जानकीरमन व अन्य, [1991] 4 एससीसी 109 पर भी गम्भीर रूप से निर्भरता रखी गई।

9. अपीलार्थी की और से पेश विद्वान अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल श्री आर. मोहन ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय तथा/ या के हाथ से परिपत्र का गलत निर्वचन हुआ है जहाँ तक परिपत्र का उचित अध्ययन करने से ये प्रकट होता है कि इसमें ऐसे अधिकारी जिनके विरूद्घ आरोप पत्र लम्बित हैं, के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा रीति की पूर्ण प्रक्रिया की गई है जिससे पदोन्नति पर विचार किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में भारत

संघ व अन्य आर. एस. शर्मा, [2000] 4 एससीसी 394, दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम एच. सी. खुराना, [1993] 3 एस. सी. सी. 196, और भारत संघ बनाम केवल कुमार, [1993] 3 एस. सी. सी. 204] पर गम्भीर निर्भरता दी गई।

10. प्रत्यर्थी की और से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. के. ढोलकिया द्वारा दूसरी और तर्क रहा है कि कथित परिपत्र के पैरा संख्या 06 को पेराग्राफ 02 के संदर्भ में ही पढा जाना चाहिए।

11. पदोन्नति एक मौलिक अधिकार नहीं है। यद्यपि पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अपने भीतर एक प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक विचार को शामिल करता है। यद्यपि अभ्यर्थी की उपयुक्तता या अन्य तथ्य विभागीय पदोन्नति समिति के हाथों में ही छोड़े जाने चाहिए, परन्तु उक्त तथ्य लागु होने वाले नियमों के अनुसार ही निर्धारित होने हैं। निर्विवादित रूप से विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रत्यर्थी का मामला पदोन्नति हेतु अनुशंषित किया गया था। जिस दिन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मीटिंग की गई उस दिन कोई सतर्कता जाँच लम्बित नहीं थी। नियोक्ता द्वारा भी ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया गया था कि उसके विरूद्घ विभागीय कार्यवाही आरम्भ की जावे।

12. केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी के नियम व शर्तें विधान या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के

अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा शासित होते हैं। अतः अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति किए जाने का अधिकार भी मात्र वैध नियमों के द्वारा ही कम किया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार के नियम का ऐसे अर्थान्वयन नहीं किया जा सकता जो विधि द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पदोन्नति के अधिकार को कम कर दे।

13. परिपत्र दिनांक 21.10.1993 का पैरा 06 मोहर बंद आवरण प्रक्रिया का प्रावधान करता है, परन्तु उसका सहारा पैरा 02 में अंकित स्थितियों में ही लिया जाना है जो विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा किए जाने के पश्चात् उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा अन्य आधार के अलावा मात्र तभी अस्वीकार की जा सकती थी जब उक्त परिपत्र के पैरा 02 में वर्णित एक या अन्य परिस्थिति संतुष्ट होती है जिसका वर्तमान मामले में अर्थ है कि प्रत्यर्थी के विरूद्घ आरोप पत्र जारी किया जा चुका था या दूसरे शब्दों में एक विभागीय कार्यवाही लम्बित थी। स्वीकृत रूप से उसके विरूद्घ आरोप पत्र 24.09.1999 को ही जारी हुआ था।

14. अतः प्रत्यर्थी को पदोन्नत किए जाने में कोई बाधा नहीं थी। विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई जिसके आधार पर वह मोहरबंद आवरण प्रक्रिया का सहारा लेती। वास्तव में तात्विक समय पर वह अस्तित्व में ही नहीं थी। कथित परिपत्र का पैरा 02

विशिष्ट रूप से आरोप पत्र के संस्थित होने को कट ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित करता है जबकि विभागीय कार्यवाही को आरम्भ किया जाना माना जा सके। इसके अतिरिक्त भी इस न्यायालय द्वारा के. वी. जानकीरमन में इस प्रकार का अर्थ देते हुए निर्धारित किया हैः

> "16 ..... मुहरबंद आवरण प्रक्रिया का सहारा आरोप पत्र जारी किए जाने के बाद ही लिया जाना है। उस प्रक्रम से पहले प्रारम्भिक अनुसंधान का लम्बित होना मुहरबंद आवरण प्रक्रिया अपनाने हेतु प्राधिकारियों को सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त नहीं है। उक्त बिंदु पर हम अधिकरण से सहमत हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क कि जब गम्भीर आरोप लगाए गए हैं और आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करने तथा आरोप पत्र जारी करने में समय लगता है वहां प्रशासन की शुद्घि के हित में यह नहीं हाेगा कि कर्मचारी को पदोन्नति, परिलाभ आदि का ईनाम दिया जाए, हमें प्रभावित नहीं करता। उक्त तर्क को स्वीकार किया जाना अनेक मामलों में कर्मचारी के विरूद्घ अन्यायपूर्ण होगा। जैसा कि अभी तक का अनुभव रह चुका है, प्रारम्भिक अनुसंधान असामान्य रूप से लम्बा होने लगता है और विशेष रूप से वहाँ जहाँ वे हितबद्घ व्यक्तियों की और से आरम्भ किए गए हों, वे लम्बे समय तक जान-बूझकर लम्बित रखे जाते हैं।

अनेक बार उनका परिणाम आरोप पत्र जारी किया जाना नहीं होता। यदि आरोप गम्भीर है और प्राधिकारी उनमें अनुसंधान किए जाने के ईच्छुक हैं तो सामान्य रूप से सुसंगत साक्ष्य को एकत्रित किए जाने तथा आरोप निर्धारित किए जाने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आरोप इतने गम्भीर हैं तो प्राधिकारी के पास कर्मचारी को सुसंगत नियमों के अधीन निलम्बित किए जाने की शक्ति है तथा निलम्बन अपने आप में मुहरबंद आवरण प्रक्रिया को लागु किए जाने को अनुदत्त करता है....."

15. हमारे मत में श्री मोहन द्वारा आर. एस. शर्मा पर निर्भरता अपीलार्थी के मामले को सहायता प्रदान नहीं करती। उक्त मामले में ऑफिस परिपत्र के पैराग्राफ 02 के मामले जिनमें मुहरबंद आवरण प्रक्रिया लागू होती है, को शामिल किया गया था जो इस प्रकार है-

"मामलें जहाँ मुहरबंद आवरण प्रक्रिया लागू होगी- लोकसेवक के मामलों पर विचार करते समय ऐसे लोक सेवक जो पदोन्नती हेतु विचारण क्षेत्र में है और जिनका मामला निम्नलिखित में से किसी श्रेणी में आता है, के विवरण विशिष्ट रूप से विभागीय पदोन्नति समिति की जानकारी में लाए जाएंगेः-

(i) निलंबन के अधीन लोकसेवक;

(ii) ऐसे लोक सेवक जिनके विरूद्घ आरोप पत्र जारी किया जा चुका है;

(iii) ऐसे लोक सेवक जिनके विरूद्घ आपराधिक आरोप के सम्बन्ध में अभियोजन लंबित है या अभियोजन के लिए अनुमति जारी की जा चुकी है या अभियोजन के लिए अनुमति जारी किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है;

(iv) लोक सेवक जिनके विरूद्घ भ्रष्टाचार, रिश्वत या इसी प्रकार के गम्भीर कदाचार के गम्भीर आरोप का अनुसंधान सी.बी.आई या अन्य एजेंसी, विभाग द्वारा या अन्यथा किया जा रहा है।"

16. प्रत्यर्थी के विरूद्घ वित्तीय कदाचार के गम्भीर आरोप लगाए गए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा अनुसंधान लिया गया। उसे दिनांक 10.03.1988 को निलम्बित किया गया। यद्यपि निलम्बन का आदेश वापस लिया गया, परन्तु अनुसंधान जारी रखा गया। विभागीय पदोन्नति समिति में पदोन्नति हेतु उसके मामले पर दिनांक 03.07.1991 को विचार किया और मुहरबंद आवरण प्रक्रिया का सहारा लिया। मात्र उपर्युक्त परिस्थिति में के.वी.जानकीरमन और उसका अनुसरण करने वाले अन्य निर्णय यह राय रखते हुए पृथक होते हैं कि कथित ऑफिस परिपत्र का पैराग्राफ 07 लागू होगा जो निम्नलिखित है-

"पदोन्नति से पूर्व बादल के अधीन अाने वाले अधिकारी को लागू मुहरबंद आवरण- एक लोक सेवक जिसे पदोन्नति हेतु अनुशंषित किया गया है जिसके मामले में पैरा 02 में लिखित कोई परिस्थिति विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा प्राप्त होने के पश्चात् परन्तु उसे अावश्यक रूप से पदोन्नत किए जाने से पूर्व उत्पन्न होती, पर इस प्रकार से विचार किया जावे जैसे उसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मुहरबंद आवरण के रूप में रखा गया है। उसे तब तक पदोन्नत नहीं किया जावे जबतक वे उसके विरूद्घ आरोपों से पूर्णतः उन्मोचित नहीं हो जाता और इस औएम में लिखित प्रावधान इस मामले में भी लागू होंगे।"

यह निर्धारित किया गयाः

"..... एक यह है कि, विभाग ने जो नहीं किया वह मुहरबंद आवरण प्रक्रिया के पैरा 07 में लिखित पैमाना नहीं है, उसमें जो लिखित है वह यह है कि यह उस लोक सेवक पर लागू नहीं होगा जो वास्तविक रूप से उस समय तक पदोन्नत नहीं किया गया है। दूसरा यह है कि विभाग द्वारा यह मत लिया गया है कि द्वितीय पैरा के खण्ड (iv) के विलोपित होने के बावजूद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंषा पैरा सं. 7 के

लागू होने के प्रभाव से उक्त पैरा के खण्ड तीन की शर्तों के कारण मुहरबंद आवरण में रखी जानी चाहिए। हम यह नहीं कह सकते कि उक्त मत अनुचित है और इस कारण हम विभाग को दिनांक 31.07.1991 के पश्चात् तत्काल मुहरबंद आवरण को नहीं खोले जाने के लिए दोष नहीं दे सकते।"

17. इसके पश्चात् एच.सी. खुराना व केवल कुमार पर विचार किया गया।

18. एच.सी. खुराना में प्रश्न यह था कि जब आरोप पत्र विरचित कर विभागीय कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है और उसे प्रस्तुत किया जा चुका है, वहाँ भी 'जारी करने' का अर्थ क्या होगा। प्रश्नगत परिपत्र का पैराग्राफ 02 आर.एस. शर्मा के मामले के समान है। इस संदर्भ में यह प्रश्न विचार के लिए आया है 'जारी करने' का अर्थ क्या होगा जब विभागीय कार्यवाही आरम्भ किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। चूंकि परिपत्र इस प्रकृति के प्रावधान को शामिल करता था जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है, अतः उक्त निर्णय, हमारे मत में इस मामले पर लागू नहीं होता है।

19. उक्त समान कारणों से इस न्यायालय का केवल कुमार का निर्णय भी आकर्षित नहीं होता है।

20. मामले के इस पहलू पर कॉल इंडिया लिमिटेड व अन्य बनाम सरोज कुमार मिश्रा, (2007) 5 स्केल 724 में हाल ही में विचार किया गया है।

21. इसलिए, हम इस राय में है कि प्रश्नगत निर्णयों में कोई दुर्बलता नहीं है। तद्नुसार, अपील खर्चे के साथ खारिज की जाती है। अधिवक्ता की फीस 25,000 /- रूपये मूल्यांकित की गई।

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विपिन बिश्नोई (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।